

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला-झुन्झुनू (राज0)
मिसल संख्या:- 2025/02 कैम्प स्थल

--आदेश--

दिनांक:- 09.07.2025

(संलग्न दस्तावेज आधार-कार्ड)

(राजस्व/2025/1701/दि. 09.07.25)

प्रार्थी के "खाता-दूरुस्ती" प्रार्थना पत्र व तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर तहसील (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र0स0	ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टी (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टी जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5	6
1.	राजेन्द्रनगर	2023-76	66	चन्द्रश्री पुत्री मूलचन्द	चन्द्रकला पुत्री मूलचन्द शेष खाता प्रविष्टि यथावत।

नोट:- शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि पर रहन या स्थगन हो तो रहन मुक्त होने/स्थगन आदेश हटने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

(मुकेश चौधरी)
(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।

2. प्रार्थी/प्रार्थिया श्रीमति चन्द्रकला पुत्री मूलचन्द जाति अररि
निवासी राजेन्द्रनगर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी